



राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

आवासीय योजना किशनगढ़ / नसीराबाद अजमेर में पंजीकृत / अपंजीकृत आवेदको के लिए किराया क्रय पद्धति / नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे है) का आवंटन


आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि 01.02.2016

"पहले आओ पहले पाओ"
का स्वर्णिम अवसर

आवेदन एवं आवास आवंटन करने की अंतिम तिथि 04.03.2016

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण अधिनियम 1970 के नियमानुसार अजमेर खण्ड की किशनगढ़ / नसीराबाद योजना में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में निम्नांकित निर्मित मकानों का खुली बिक्री योजनान्तर्गत "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारण किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	आवास सं.	सामान्य आवास का क्षेत्रफल (व. मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (व. मी.)	सामान्य आवास की लागत	आवेदन पत्र के साथ जमा कराने योग्य राशि	
						नकद भुगतान पद्धति के प्रकरण में	किराया क्रय पद्धति के प्रकरण में
(अ) नसीराबाद योजना के आवासों की सूची							
1	EWS	5/69, 83, 87, 93, 95, 96, 98, 100, 102 to 107, 111, 112, 114, 116 to 121, 123, 124, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 190, 195, 196, 209, 211, 213, 216, to 218, 221, 228, 233, 235, 237, to 240, 242, 243, 249, 250, 253, 255, 258, & 259	5.00 X 11.00 = 55.00	15.767	539700.00	12500.00	12954.00
2	EWS	6/53 to 58, 61 to 65, 72 to 74, 76, 77 & 80	4.27 X 5.87 = 25.06	11.760	299200.00	12500.00	12954.00
3	EWS	6/173 & 6/204	4.00 X 11.00 = 44.00	26.677	709900.00	12500.00	12954.00
4	LIG	5/13, 266, 293, 307 & 308	6.00 X 12.00 = 72.00	23.915	835500.00	25700.00	26632.00
5	LIG	6/220 to 6/224	6.00 X 12.00 = 72.00	39.306	1366700.00	25700.00	26632.00
6	MIG-A	1/62, 68, 72 & 2/63	6.00 X 16.00 = 96.00	44.835	1397100.00	91000.00	94299.00
7	MIG-A	4/164, 166, 167, 169, 173, 176 to 179 & 5/28	6.00 X 16.00 = 96.00	50.602	1624600	91000.00	94299.00
8	MIG-A	2/126 & 5/037	6.00 X 16.00 = 96.00	74.048	2123800	91000.00	94299.00
9	MIG-B	1/26	9.00 X 18.00 = 162.00	71.580	2450600	150500.00	155956.00
10	MIG-B	4/26	9.00 X 18.00 = 162.00	120.316	4142300	150500.00	155956.00
11	HIG	2/015	10.50 X 20.00 = 210.00	114.795	3377500	220500.00	228493.00
12	HIG	3/16 to 18 & 4/01	10.50 X 20.00 = 210.00	127.140	4141300	220500.00	228493.00


R.E. Sir

(ब) किशनगढ़ फेज द्वितीय योजना के आवासों की सूची							
1	EWS	1-K-11, 1-L-04, 1-Q-11, 1-R-03 & 1-P-22	3.75 X 08.00 = 30.00	12.780	723200.00	12500.00	12954.00
2	EWS	1-F-10 & 1-F-17	4.00 X 10.50 = 42.00	20.000	960600.00	12500.00	12954.00
3	MIG-A	1-C-17	6.00 X 12.00 = 72.00	52.760	2952300.00	12500.00	94299.00
4	MIG-A	1-E-24	8.00 X 15.00 = 120.00	64.910	3926300.00	12500.00	94299.00
5	HIG	1/011	10.50 X 20.00 = 210.00	115.890	8220800.00	220500.00	228493.00


RE
PT.O

सामान्य निर्देश:-

- (1) लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो) की राशि एवं अन्य राशियाँ बोर्ड नियमानुसार देय होगी।
- (2) आवासो का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (3) आवासो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में आवास की उपलब्धतानुसार किया जावेगा।
- (4) इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं नये (अपंजीकृत) दोनों प्रकार के आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे, किन्तु पंजीकृत आवेदक को वरीयता दी जायेगी।
- (5) इस योजना में आवास आवंटन हेतु वरीयता का क्रम इस प्रकार रहेगा। नगद भुगतान प्रद्वति के पूर्व पंजीकृत आवेदक, नगद भुगतान प्रद्वति के नए आवेदक, किराया क्रय पद्वति के पुर्व पंजीकृत आवेदक तथा किराया क्रय पद्वति के नए आवेदक।
- (6) आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक के स्वयं उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।
- (7) योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
- (8) योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।
- (9) आवेदको को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन करनी होगी।
- (10) आवेदन पत्र योजनावधि में प्रत्येक कार्यदिवस को प्रति दिन सायं चार बजे तक प्राप्त किये एवं आवास आवंटित किये जायेंगे तथा एक ही आवास हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 4.30 बजे लॉटरी से आवास आवंटन किया जावेगा।
- (11) पूर्व पंजीकृत आवेदको का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिए एवं पुनर्जीवित (यदि कोई हो) से संबंधित साक्ष्य तथा पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने अथवा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने बाबत 20/- रूपयें के नोन ज्यूडिसल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) आवंटन पश्चात निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुए जमा राशि लौटा दी जाएगी।
- (13) सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी टैक्स नियमानुसार देय होंगे वर्तमान में इस योजना में नगद भुगतान पद्वति के तहत आवंटन पर सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।
- (14) खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 01.02.2016 से कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

परियोजना अभियन्ता (व.) नसीराबाद
मो. 9828862288
परियोजना अभियन्ता (व.) किशनगढ़
9983993898

मो. सम्पर्क सूत्र


आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर
वैशाली नगर, अजमेर।
फोन नं. 0145-2641894



राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

क्रमांक:- 6678

दिनांक 29.1.16

श्रीमान् सहायक निदेशक (जन सम्पर्क),
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय:- खुली बिक्री योजना 2016 की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खण्ड कार्यालय अजमेर के अन्तर्गत अवासीय योजना नसीराबाद एवं किशनगढ़ के पूर्व निर्मित विभिन्न आय वर्गों के आवासों का निस्तारण खुली बिक्री योजना से करने हेतु संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन मण्डल नियमानुसार करवाने की कृपा करें।

भवदीय

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड अजमेर।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड अजमेर।